

18



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक भू.रा.सं. 2 / 2018/

निगरानी/शिवपुरी/भू.रा.सं. 2018/00510-

- 1- रामीकोकी पुत्र शिववे राय आयु 57 साल
- 2- अछालेश पुत्र रामीकोकी राय आयु 34 साल
- 3- प्रकाश पुत्र मोतीलाल मेहतर आयु 54 साल

सभी निवासीगण टीला रोड फोरलाइन चौराहा करैरा जिला शिवपुरी म.प्र. - निगरानीकर्ता बनाम

उक्त के उत्तरवाक नाम

18-1-18  
प्रस्तुत प्राप्ति के दिनांक 24-1-18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- 1- रामरूप पुत्र जसवंतसिंह रावत आयु 47 साल  
व्यवसाय छोटी निवासी डाक बंगला के पीछे राजेश्वरी कालोनी करैना जिला शिवपुरी म.प्र.
  - 2- रामजीलाल पुत्र पजना आयु 32 साल
  - 3- कालीचरण उर्फ टिकल आयु 27 वर्ष पुत्र पजना
  - 4- पजना उर्फ पूरनलाल पुत्र नामालूम आयु 60 साल
- सभी जाति प्रजापति निवासीगण टीला रोड फोरलाइन चौराहा करैरा जिला शिवपुरी म.प्र. - प्रत्यर्गिण

उ.के. 825वक्य  
एडवोकेट

निगरानी अन्तर्गत धारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व सीहता विच्छेद आदेश दिनांक 30-11-17 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश प्रकरण क्रमांक 07/बी-12/2018-2017 व उत्तान रामीकोकी आदि बनाम रामरूप आदि

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यहाँक, अधीनस्थ न्यायालय का आदेशा विचरित विधान एवं प्रकरण पत्राकर्ता के विच्छेद होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
- 2- यहाँक, अधीनस्थ न्यायालय ने तो प्रकरण की नोड्यत को समझा और न ही प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदकगण

Handwritten mark resembling a '3' or a stylized signature.

शिवपुरी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश, पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/0510

रामविलोकी आदि विरुद्ध रामस्वरूप रावत आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 07/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11-09-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

(जे.के. जैन)  
सदस्य

रामविलोकी आदि